

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3(क) ()का.प्र./स्थानि/24/6113


दिनांक: 29.05.2024

आदेश

वर्ष 2024 में प्रदेश में भीषण गर्मी की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत आगामी दिनों में लू-तापघात के प्रकोप से आमजन व पशु-पक्षियों के बचाव हेतु राहत कार्य/योजनाओं के सुचारु संचालन एवं कार्यान्वयन के दृष्टिगत स्वायत्त शासन विभाग व समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग कार्यालयों में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण तथा राज्य के समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं में पदस्थापित आयुक्त/अधिशिषी अधिकारीगण के अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग की अनुमति को अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया जाता है।


समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश हेतु प्रस्थान करें।

सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.3(क) ()का.प्र./स्थानि/24/6114-6228 दिनांक: 29.05.2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महो0 राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महो0 स्वायत्त शासन व नग0वि0 विभाग, जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महो0, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
05. समस्त अधिकारीगण, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
07. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
08. संयुक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट, आई0टी0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त सचिव